कहानी - अस्मिता लहूलुहान

वह बिल्कुल नग्न थी। चमन ठाकुर ने उसके बालों को कसकर पकड़ रखा था और गाँववालों को डराते हुए चिल्ला रहा था— "देख लो इस दुष्ट औरत की हालत! आगे भी अगर कोई गुर्राया, तो उसका भी यही हाल होगा।"

ठाकुर के दोनों बाडीगार्ड बंदूक लिए सीना ताने इधर-उधर घूम रहे थे। मार खाकर राखी बेहाल हो गई थी। उसका अपराध केवल इतना था कि उसने अपने बेटे के लिए ठाकुर से लड़ने की हिम्मत की थी। बेटे तो सबके एक जैसे होते हैं, सभी को अपनी औलाद प्यारी होती है।

ठाकुर के बेटे ने गलती की थी, ऐसे में उसके पिता का फर्ज़ था कि वह उसे समझाता या डाँटता। मगर ऐसा नहीं हुआ। राखी का बेटा नौ साल का था और ठाकुर का बेटा आठ साल का। दोनों एक ही कक्षा में साथ पढ़ते थे। एक दिन ठाकुर के बेटे ने गाली दी और राखी के बेटे के कपड़े फाड़ दिए। जवाब में राखी के बेटे ने भी गाली दी और दोनों लड़ पड़े। राखी का बेटा ठाकुर के बेटे पर भारी पड़ा।

बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर राखी ठहरी दलित जाति की। दलितों का ठाकुरों के सामने बोलना भी अपराध समझा जाता है। उसी शाम ठाकुरों ने राखी को मारा-पीटा और अंत में उसे नंगा कर दिया। लाठी और बंदूक के आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके। पास ही थाना था, लेकिन वहाँ भी ठाकुरों की चलती थी।

शाम तक यह खबर फैल गई कि राखी के बेटे ने ठाकुर परिवार पर हाथ उठाया है। यह सुनकर ठाकुर बिरादरी में खलबली मच गई। सामूहिक गुस्से और सामंती सोच ने आग पकड़ ली।

अगले दिन शाम को गाँव के ठाकुर राखी के घर पहुँचे। उसे घसीटते हुए बाहर निकाला और बेरहमी से पीटा। फिर उसे एक कमरे में बंद कर ताला लगा दिया और चाबी लेकर चले गए। राखी मदद के लिए चीखती रही लेकिन कोई मदद को नहीं आया।

उसके देवर, देवरानी और अन्य रिश्तेदार, जो पास ही रहते थे, सब खामोशी से तमाशा देखते रहे। गाँव में ठाकुरों का इतना दबदबा था कि विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं थी।

अगले दिन भी राखी को भूखा-प्यासा उसी कमरे में बंद रखा गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे छुड़ा सके या थाने में खबर कर सके। चमन ठाकुर का बाईपास रोड पर होटल था, चार फैक्ट्रियाँ थीं और सात कोटे की दुकानें। पुलिस से लेकर अफसरों तक पर उसका प्रभाव था।

शाम को जब अंधेरा छाया, चमन ठाकुर, श्याम सिंह और मुन्ना सिंह राखी के घर पहुँचे और उसे कमरे से निकालकर मा_रते-पीटते अपने साथ ले गए। यह देखकर राखी का बेटा, उसकी वृद्ध अंधी सास और देवरानी उनके पैरों में गिरकर गुहार लगाने लगे, मगर किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई।

उसे गाँव से बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाकर फिर से पीटा गया और जब वह बेहोश हो गई तो उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया गया। रात भर उसे अमानवीय यातनाएँ दी गईं और सुबह होते-होते उसे फिर उसके घर में कैद कर दिया गया। जब किसी ने उसे पानी देना चाहा, तो उसे भी पीटा गया। गाँव वालों को इतना आतंकित कर दिया गया था कि कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पूरे परिवार को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी।

राखी के देवर छोटे लाल को किसी तरह भागकर भवानीपुर थाने जाकर सारी जानकारी देनी पड़ी। पुलिस मौके पर पहुँची, पर केवल ताला खुलवाकर कह दिया— "इसे खाना-पानी दो वरना मर गई तो मुसीबत होगी। अब और मार-पीट मत करना।"

इसके बाद पुलिस चली गई और ठाकुरों ने फिर उसे कैद कर लिया। छोटे लाल को थाने जाने की सजा भी दी गई—उसे बुरी तरह पीटा गया।

रात को ठाकुर फिर आए और राखी को फिर अपने घर ले गए। उसके साथ दोबारा बलात्कार किया गया। इस बार उसके नाजुक अंगों पर सरियों से प्रहार किए गए। वह पीड़ा से कराहती रही, दया की भीख माँगती रही, मगर दरिंदों के भीतर मानवता मर चुकी थी। राखी ने भागने का प्रयास किया लेकिन पकड़ी गई। फिर वही अमानवीय कृत्य दोहराया गया। अंततः वह बेहोश हो गई। सुबह नौ बजे जब होश आया, तो फिर उसे पीटते हुए गाँव लाया गया और सैकड़ों लोगों के सामने नग्न कर दिया गया। उसके शरीर पर पड़े लाल-काले निशान उसकी पीड़ा की गवाही दे रहे थे। उसके हाथ-पाँव बाँध दिए गए और उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया।

उसकी देवरानी बिमला ने छत से यह दृश्य देखा और चीख पड़ी— "राखी को बचाओ, ये लोग उसे जला देंगे!"

लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। ठाकुरों की औरतें छतों से यह नंगा दृश्य देखती रहीं। किसी ने न रोका, न टोंका। एक माचिस जली और राखी पर फेंक दी गई।

अगले ही पल वह जलने लगी और ठाकुर परिवार ठहाके मारता रहा। बिमला की चीखें, ममता और शीला की पुकार, सब व्यर्थ साबित हुईं। समाजसेवी भी दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राखी की लाश जलकर राख हो चुकी थी।

उसके ससुर जान बचाकर थाना पहुँचे, लेकिन थाना प्रभारी दोपहर का खाना खाकर दो बजे पहुँचे। साथ में ठाकुर चमन सिंह भी था। पुलिस ने चादर मंगवाई और बिना पंचनामा के लाश उठाने की कोशिश की।

तभी बिमला पुलिस के सामने शेरनी बनकर खड़ी हो गई। उसने पुलिस को रोका। बिमला का आक्रोश अब फूलन देवी और झलकारी बाई की तरह फूट पड़ा था। अंततः लाश को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया।

पुलिस के पहुँचने तक ठाकुर गाँव छोड़ चुके थे। पर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बेटे की गलती की सजा माँ को इस हद तक मिलेगी।

अगले दिन बिमला के पति को भी पीटा गया और उनका घर उजाड़ दिया गया। अब ठाकुर बिमला को घसीटते हुए गाँव में नग्न घुमा रहा था।

तभी बिमला ने अचानक उसका गला कसकर पकड़ लिया। जितना वह छुड़ाने की कोशिश करता, बिमला उतनी ही पकड़ कसती जाती। एक बाडीगार्ड ने रिवॉल्वर निकाली, लेकिन बिमला ने फुर्ती से वह भी छीन ली। फिर कब वह बेहोश हुई, किसी को नहीं पता चला।

जब होश आया, तो वह थाने में थी। बिमला ने अपने जुल्म का बदला लिया था—सात दरिंदों को मौत के घाट उतार दिया था।

उसके मन में बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के शब्द गूंज रहे थे— "जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा दोषी, जुल्म सहने वाला होता है।"

लाज-शर्म तो केवल शरीर ढँकने भर से नहीं आती। औरत चाहे नग्न हो या वस्त्र में, वह हमेशा 'सबला' ही होती है।

(लेखक : राजेश कुमार बौद्ध)
पता - ग्राम- रामपुर नयागाँव, पोस्ट-गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर,
पिनकोड-273015